

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी- III /10227 | 866

दिनांक: 22-6-2022

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.0072 ha. of forest land for access to IOCL MS/HSC Retail outlet between Rathdana and Akbarpur Barota/Narela, WML Sonipat under forest division and Distt Sonipat, Haryana.

Proposal No. FP/HR/Approach/51883/2020

मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक द्वारा IOCL के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है जो कि संस्तुति उपरान्त सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 तथा पत्र क्रमांक 666-Secy.Ft-2018/3919 दिनांक 16-3-2018 की अनुरूपता में आपको स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है । प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है । इस प्रस्ताव में 0.0072 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 3 वृक्ष (vol 5.38 m³) बाधक है व 5 पौधे जो कटवाए जाएंगे । यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है । इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है । प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी ।

चार्जिज	रूपए
प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	173470.00
अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	15770
मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	52041.00
नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड	6896.00
फैलिंग चार्जिज	6456.00
कुल	254633.00

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से H43XL of drain no 6 village Jagdishpur Tehsil Rai Distt Sonipat में 110 पौधे लगवाए जाएंगे ।

अतः उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल (<http://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से आपको भेजा जाता है । कृपया इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा, पंचकुला

21/6/2022

Full Title of the Project : Diversion of 0.0072 ha. of forest land for access to IOCL MS/HSC
Retail outlet between Rathdana and Akbarpur Barota/Narela ,WML
Sonipat under forest division and Distt Sonipat,Haryana
Proposal No. FP/HR/Approach/51883/2020

PART-V

(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : _____

Place : Panchkula

Signature
Name

Office Seal

